

1

33/ce/D-3/16

प.क्र. / विधिक/22/वि-3/ग्रायासे/2015

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्ष)
अनिल मेहरा उपयंत्री
अधीक्षक-श्री अनिल उरकुड़े
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. संतोषी

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 189/2016 मेसर्स रविन्द्र कुमार कन्स्ट्रक्शन कंपनी जबलपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बावत्।

कृपया विषयांतर्गत उपपंजीयक मान. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त नोटिस का अवलोकन करना चाहेंगे। नोटिस के माध्यम से प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर दिनांक 10.03.2016 के पूर्व जबाव प्रस्तुत करने का लेख किया गया है। प्रकरण कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कटनी द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रोड़ एवं पुलिया निर्माण हेतु आमंत्रित निविदा को निरस्त किये जाने के विरुद्ध दायर किया गया है।

प्रकरण में प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य अभियंता, ग्रायांसे विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल एवं कार्यपालन यंत्री, ग्रायांसे संभाग कटनी को प्रतिवादी बनाया है।

प्रकरण में कार्यपालन यंत्री, ग्रायांसे संभाग कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना उचित होगा। अनुमोदनार्थ।

अधीक्षण यंत्री (स्था.)

प्रमाण में एड मेस
कटनी का गलत बनाया जाना
प्रस्तावित।

17/2/16

सिंह

अनुमोदनार्थ

18/2/16

DR RD

A. app.

फर्मा

अनिरुद्ध डी. अग्रवाल
प्रमुख अभियंता (ग्रायांसे)

Brajesh Kumar
Secretary
Govt. of M.P.
Panchayat & Rural Dev. Dept.

सिंह

26/2
25-216
26/02

क. 414 /उम.पं. एवं वा. वि. /
दिनांक 25-2-16

273/का/11
19/2

7/6
26/2/16

No. 1106 /PA/SEC-ADCIP&RD/201
Bhopal Dated 29/2/16

33/LL/D-3/16

प.क्र. / विधिक/22/वि-3/ग्रायास/2015

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्ष)
अनिल मेहरा उपयंत्री
अधीक्षक-श्री अनिल उरकुडे
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. संतोषी

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 189/2016 मेसर्स रविन्द्र कुमार कन्स्ट्रक्शन कंपनी
जबलपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये
जाने बावत्।

प्रस्तावित:

N.I. के अनुमोदन अनुसार OIC के आदेश
जारी करने हेतु नस्ती विकास शाखा-16
को अंकित करना चाहेंगे।

SE (Est)

Am
27/2/16

(J.C. - विधि प्रोव)


Am
27/2/16

पूर्व पृष्ठ N-1 पर सचिव के
अनुमोदन अनुसार कार्यपालन मंत्री, या. ग्रां. सेवा संभाग
कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने हेतु
आदेश का प्रारूप/स्वच्छ प्रति अनु/दस्ता
प्रस्तुत है।

से.आ. (विधि)

उप सचिव
मं. प्र. शासन
पं. प्र. ग्रां. वि. वि. वि.

J.C. (Law)



Q
01/03/16

Q
2-3-16

Q
3/3/16

Am
24-2-16

Q
23/02/16

Am
03/03/16

क. 473 उता. वं. एवं ला. वि. वि.
दिनांक 2-3-16
582/16/16
23-2-16
1/1
No. 1-3-2016
DATE 1-3-2016
1. भा. क्र. 96/22/वि-3/RES/16
दिनांक 27.1.2016

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्ष)
अनिल मेहरा उपयंत्री
अधीक्षक-श्री अनिल उरकुड़े
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. संतोषी

प.क्र. /विधिक/22/वि-3/ग्रायासे/2015

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 189/2016 मेसर्स रविन्द्र कुमार कन्स्ट्रक्शन कंपनी जबलपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने बाबत।

पूर्व दृष्ट से:

विभागीय आदेश क्र. 2957 दिनांक 03.03.16 द्वारा रिट पिटीशन क्र. 189/2016 मेसर्स रविन्द्र कुमार कन्स्ट्रक्शन कंपनी जबलपुर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.से. संभाग कटनी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रतिरक्षण आदेश जारी करने हेतु नस्ती विधि विभाग को अंकित की जाना प्रस्तावित है।

संयुक्त आयुक्त (विधि)

उप ललित बल्लभ
म.प्र. शासन
प. एवं आ. वि. वि.

5/03/16

Dy. Secy. (Law)

28/2/16
8-3-16

प्रतिरक्षण आदेश जारी कर प्रतिनस्ती पर रखी है।

पंचामत बख्श ग्रामीण विकास विभाग

(अमिताभ मिश्र)
भति-सचिव
विधि विभाग

4

विकास आयुक्त कार्यालय
विकास शाखा-3 (विधिक कक्ष)
अनिल मेहरा उपयंत्री
अधीक्षक-श्री अनिल उरकुडे
प्रभारी अधि. का नाम-श्री ए.के. संतोषी

प.क्र. /विधिक/22/वि-3/प्रायास/2015

विषय:-रिट पिटीशन क्रमांक 189/2016 मेसर्स रविन्द्र कुमार कन्स्ट्रक्शन कंपनी
जबलपुर विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये
जाने बावत।

पूर्व रूढ सै

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT
JABALPUR

Process Id: 15762/2016

WP/189/2016

Mandamus - Notice

From

Kishore Pithawe
Deputy Registrar,
High Court of Judicature
at Jabalpur

for Adm and Relief
Fixed for 10-03-2016
WP-DA-18
Respondent No. 2



To,

The Chief Engineer M.p. Rural
Engineering Services,
M.p. Rural Engineering Services (r.e.s)
Vallabh Bhawan, Bhopal (m.p.),
District- Bhopal (MADHYA PRADESH) ,

Jabalpur 29-01-2016

अधिवाण गत्री (तक.)

प्रमुख अभियन्ता

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 189/ 2016

S.P. (A)

Sir/Madam,

6/2/16
(एस. के. श्रीवास्तव)
अधीवाण गत्री (प्रशा.)

I am directed to inform you that one **M.s. Ravindra Kumar Constructions** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/189/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **10-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your faithfully

30-1-16
DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग // आदेश //

क्रमांक/ 2957/22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक 03/02/2016

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यक-5) के आदेश सल्टाईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.से. संभाग कटनी को मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्र. 189/2016 मेसर्स रविन्द्र कुमार कन्स्ट्रक्शन कंपनी जबलपुर विरुद्ध म0प्र0 शासन एवं अन्य में म0प्र0 राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनो पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते हैं प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग, नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के आदि में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका/वाद पत्र में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उसकी राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- 2- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुँचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन तैयार कर सकेगा।
- 6- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात/पत्र भेजे :-
 - क. वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट।
 - ख. प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - ग. उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में उपेक्षा की गई है।
 - घ. मामले के निराकरण के लिए आवश्यक कागजातों/पत्रों की प्रक्रिया इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिये।
- 7- मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने और मामले, उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गये कर्तव्यों में स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- 8- जब भी कोई आदेश/निर्देश विनिर्दिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है। तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने एवं राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट न हो।

- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिये इस विभाग को भेजेगा।
- 11- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है। अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात तब तक प्रभारी बना रहेगा तब तक कि अन्य प्रभारी की नियुक्ति न कर दी जाये।
- 12- प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपा हुआ न रह जाये।
- 13- न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिन पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन किस विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहां से आवश्यक कार्यवाही की जाना है। ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।


(एस.आर. चौधरी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./2958/22/वि-16/वि.प्र./2016

भोपाल, दिनांक 13/02/2016

प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता, जबलपुर, म.प्र. ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग म.प्र.।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र. भोपाल।
5. प्रभारी अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, ग्रा.यां.से. संभाग कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया प्रकरण में अधिकरण से संपर्क कर उपस्थिति प्रमाण पत्र, प्रगति रिपोर्ट तथा अपनी प्रत्येक भेंट पर शासकीय अधिवक्ता आगामी कार्यवाही हेतु सलाह करने तथा मामले में प्रगति रिपोर्ट के साथ जवाबदावा प्रस्तुत कर शासन को भेजने हेतु अग्रेषित।


2-3-16
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग